Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council
उत्तराखण्ड हथकरधा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।
दूरभाषः– 0135–2728227, 2520604 फैक्सः–0135–278226 ई–मेलः uhhdc-ua@nic.in

फूड स्टॉल के संचालन हेतु अल्पकालिक निविदा का प्रस्ताव

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14–27 नवम्बर, 2018 तक आयोजित होने वाले भारत अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला–2018 में उत्तराखण्ड राज्य प्रतिभाग कर रहा है। इस आयोजन में राज्य के पारम्परिक व्यंजनों को आगुन्तकों को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रगति मैदान, नई दिल्ली में फूड कोड के अन्तर्गत फूड स्टॉल(30 वर्गमीटर स्थान) राज्य को आवंटित किया गया है। Catering आदि के कार्य में पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं/निगम/परिषद आदि से फूड स्टॉल के संचालन हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर उपरोक्त पते पर दिनांक 15.11.2018 को अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, पटेल नगर देहरादून के कार्यालय में खोले जायेंगे। परिषद को किसी भी प्रस्ताव अथवा सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

फूड स्टॉल के किराये की निर्धारित न्यूनतम राशि रू0 4,15,000.00(रू0 चार लाख पन्द्रह हजार मात्र) (कर सहित) है।

नियम एवं शर्तें

1. आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव दो भागों में जमा करना होगा। प्रथम भाग तकनीकी भाव(**Technical Bid**) तथा द्वितीय भाग वित्तीय भाव(**Financial Bid**) होगा। तकनीकी भाव (Technical Bid) तथा वित्तीय भाव(Financial Bid) पृथक से सील बंद लिफाफे में रखे जायेंगे तथा इन दोनों लिफाफों को एक सील बंद लिफाफा, जिस पर तकनीकी भाव (Technical Bid) तथा वित्तीय भाव(Financial Bid) लिखा होना अनिवार्य होना चाहिये।
2. तकनीकी भाव (**Technical Bid**) के साथ निम्नलिखित प्रपत्र/सूचनायें संलग्न होनी चाहिये :–
   - (अ) फूड स्टॉल के प्रस्ताव का प्रपत्र।
   - (ब) फूड स्टॉल के प्रस्ताव प्रपत्र के मूल्य रू0 1,000.00 की राशि का बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा की रसीद।
   - (स) धरोहर राशि(Earnest Money) रू0 17,000.00 का बैंक ड्राफ्ट।
   - (द) व्यापार कर/GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति।
   - (य) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

(र) अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त फूड लाइसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति।

(ल) गत तीन वर्षों की बैलेन्स शीट एवं आयकर विवरणी।

(व) देश के अन्तर्गत किसी भी विभाग/उपक्रम/निकाय/परिषद द्वारा ब्लैक लिस्ट न किये जाने सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र।

(ष) विगत वर्षों में किये गये कार्यों/अनुभव विषयक प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति।

(ह) उत्तराखण्ड राज्य के पारम्परिक व्यंजनों, जो फूड स्टॉल में उपलब्ध कराये जायेंगे, की सूची।

3. जिन आवेदनकर्ता के तकनीकी भाव(**Technical Bid**) व्यवस्थित पाये जायेंगे, उन आवेदनकर्ताओं के ही वित्तीय भाव(**Financial Bid**) खोले जायेंगे।

4. वित्तीय भाव(**Financial Bid**) के अन्तर्गत आवेदनकर्ता द्वारा फूड स्टॉल के संचालन हेतु प्रस्तावित राशि शब्दों एवं अंकों में सेवा–कर सहित स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिये।

5. चयनित फर्म/संस्था/निगम/परिषद आदि को स्वीकृत राशि ITPO को जमा की जानी होगी। शर्त को पूरा न करने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है।

6. आवेदनकर्ता को प्रस्ताव के साथ धरोहर धनराशि (**Earnest Money**) रू0 17,000.00 (रू0 सत्रह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट **UHHDC(Fair & Exhibition)** के नाम **Dehradun** के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. प्रस्ताव प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य प्रपत्र संलग्न न होने की दशा में प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. फर्म का नाम उत्तराखण्ड शासन/देश के अन्तर्गत किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में अंकित नहीं किया गया है, का स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. फूड स्टॉल का संचालन राज्य के पारम्परिक व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिये ही किया जायेगा।

10. फर्म के पक्ष में जारी फूड लाईसेन्स अधिकृत विभाग द्वारा जारी होना चाहिये, जिसकी सुस्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न किया जाना आवश्यक है।

11. फूड स्टॉल के किराये की न्यूनतम राशि रू0 4,15,000.00 (रू0 चार लाख पन्द्रह हजार मात्र) (कर सहित) निर्धारित है।
12. इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा जारी नियम एवं शर्तो का पालन चयनित फर्म/संस्था/निगम/परिषद आदि के द्वारा पूर्ण रूप से किया जायेगा।
13. स्थानीय विभागों एवं दिल्ली पुलिस विभाग से फूड स्टॉल के संचालन से सम्बन्धित अनुमति एवं आवश्यक लाइसेन्स Caterers को स्वयं प्राप्त करनी होगी।
14. मेले की अवधि में फूड स्टॉल के संचालन हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम द्वारा समय–समय पर इसकी जॉच की जायेगी।
15. अनुबन्ध अवधि में कार्य/सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबन्ध को रद्द/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, यूएचएचडीसी, देहरादून को होगा।
16. सदस्य सचिव, यूएचएचडीसी, देहरादून को किसी भी प्रस्ताव अथवा सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. अपूर्ण एवं सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगीं।
18. किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र देहरादून होगा।

सदस्य सचिव,
यूएचएचडीसी।

फर्म/संस्था/निगम/परिषद के प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर।

Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council
उत्तराखण्ड हथकरधा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।
दूरभाषः– 0135–2728227, 2520604 फैक्सः–0135–278226 ई–मेलः uhhdc-ua@nic.in

फूड स्टॉल के प्रस्ताव का प्रपत्र

1. (अ) फर्म/संस्था/निगम/परिषद का नाम...
   (ब) पता..
   (स) दूरभाष संख्या...
   (द) फैक्स संख्या..
2. व्यापार कर/सेवा कर रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं तिथि...
3. आयकर पैन नम्बरः...
4. अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त फूड लाईसेन्स प्रमाण–पत्र संख्या .... व दिनांक।
5. फूड स्टॉल के प्रस्ताव प्रपत्र के मूल्य रू0 1,000.00 हेतू जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक तथा नकद की रसीद संख्या ....
6. धरोहर राशि रू0 17,000/– का बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक...
5. विगत वर्षों में किये गये कार्यों/अनुभव का विवरण(छायाप्रति संलग्न करें):–

विभाग का नाम व पता	धनराशि(शब्दों में)
(i)	....
(ii)..	....
(iii)...	....

6. नोटः– निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की प्रति तथा धनराशि से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) फूड स्टॉल के प्रस्ताव प्रपत्र की राशि रू0 1,000/– से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद राशि से सम्बन्धित रसीद की प्रति।

(ii) धरोहर राशि रू0 17,000/– का बैंक ड्राफ्ट।

(iii) व्यापार कर/GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति।

Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council
उत्तराखण्ड हथकरधा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।
दूरभाषः– 0135–2728227, 2520604 फैक्सः–0135–278226 ई–मेलः uhhdc-ua@nic.in

(iv) गत तीन वर्षों की बैलेन्स–शीट एवं आयकर विवरणी।

(v) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

(vi) उत्तराखण्ड शासन/देश के अन्तर्गत किसी भी विभाग/उपक्रम/निकाय/परिषद द्वारा ब्लैक लिस्ट न किए जाने संबन्धी स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र।

(vii) अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त फूड लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति।

निर्धारित नियम एवं शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा फूड स्टॉल के संचालन से सम्बन्धित सभी नियम एवं शर्तें भली भांति पढ़/समझ ली गई हैं तथा मैं उन सभी शर्तों से पूर्णतः सहमत हूॅं।

स्थानः   हस्ताक्षर...

दिनांकः   नाम :...

पताः ....

....

....

(फर्म की मुहर)